वर्ष 2017
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक F4(139)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/५५५४ दिनांक: 03.05.2017

प्रेषिति–

प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय– दिनांक 08.05.2017 से 30.06.2017 तक ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतों हेतु गठित होने वाली बैंच के सदस्यों हेतु मानदेय स्वीकृति क्रम में।

संदर्भ– आपका पत्रां प.12 (15) राज–1/2016 दिनांक 21.04.2017.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं आपके द्वारा प्रेषित किए गए संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि–

1. दिनांक 08.05.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत के लिए गठित होने वाली प्रत्येक लोक अदालत बैंच का गठन संबंधित स्थान के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से अनुमोदन प्राप्त करके किया जा सकता है।
2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक रालसा/परिपत्र/1/2015 दिनांक 24.01.2015 के तहत लोक अदालत के लिए गठित होने वाली बैंच में अधिकतम 03 और न्यूनतम 02 सदस्यों को मिलाकर बैंच का गठन किया जा सकता है, जिसमें 01 अध्यक्ष और 01 अधिवक्ता तथा 01 समाज सेवी कार्य कर सकता है।
3. लोक अदालत की बैंच में कार्य करने वाले सदस्यों को मानदेय तभी दिया जावेगा जब बैंच का गठन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से अनुमोदन प्राप्त करके किया गया हो तथा अनुमोदन से गठित बैंच के सदस्यों को प्रत्येक दिवस के लिए 500 रूपए मानदेय दिए जाने का आदेश पूर्व में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 12369–12402 दिनांक 01.12.2015 एवं पत्रांक रालसा/2016/15 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा दिया जा चुका है।
4. यदि पीठासीन अधिकारी राजकीय अवकाश के दिवस पर अनुमोदन से गठित बैंच में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने मूल वेतन का एक दिवसीय मानदेय प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा और उसका भुगतान धारा 4सी से संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करने पर किया जावेगा।

सादर,

भवदीय

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)